

संचिका स0-7 / बजट-46-41 / 2024-25 - 5 अ२ (7)

बिहार सरकार .
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-18/03/2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय माध्यम से PM-ABHIM अन्तर्गत Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) on SNA SPARSH मद में केन्द्रांश मद की राशि रू0 48,00,00,000/- (रूपये अड़तालीस करोड़) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से रू0 32,00,00,000/- (रूपये बत्तीस करोड़) मात्र सहित कुल राशि रू0 80,00,00,000/- (रूपये अस्सी करोड़) मात्र के विरुद्ध में वर्तमान में केन्द्रांश मद की राशि रू0 41,11,66,000/- (रूपये इक्तालीस करोड़ ग्यारह लाख छियासठ हजार) मात्र एवं राज्यांश मद से रू0 13,62,00,000/- (रूपये तेरह करोड़ बासठ लाख) मात्र सहित कुल राशि रू0 54,73,66,000/- (रूपये चौवन करोड़ तिहत्तर लाख छियासठ हजार) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित्त आवंटन ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्राक-6930 दिनांक-05.03.2024 के द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय माध्यम से PM-ABHIM अन्तर्गत Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) on SNA SPARSH मद में केन्द्रांश मद की राशि रू0 48,00,00,000/- (रूपये अड़तालीस करोड़) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से रू0 32,00,00,000/- (रूपये बत्तीस करोड़) मात्र सहित कुल राशि रू0 80,00,00,000/- (रूपये अस्सी करोड़) मात्र के विरुद्ध में वर्तमान में केन्द्रांश मद की राशि रू0 41,11,66,000/- (रूपये इक्तालीस करोड़ ग्यारह लाख छियासठ हजार) मात्र एवं राज्यांश मद से रू0 13,62,00,000/- (रूपये तेरह करोड़ बासठ लाख) मात्र सहित कुल राशि रू0 54,73,66,000/- (रूपये चौवन करोड़ तिहत्तर लाख छियासठ हजार) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को Virtual Allotment के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है ।

4

2— उक्त वर्णित परिस्थिति में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय माध्यम से PM-ABHIM अन्तर्गत Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) on SNA SPARSH मद में केन्द्रांश मद की राशि रु0 48,00,00,000/—(रुपये अड़तालीस करोड) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद से रु0 32,00,00,000/— (रुपये बत्तीस करोड) मात्र सहित कुल राशि रु0 80,00,00,000/— (रुपये अस्सी करोड) मात्र के विरुद्ध में वर्तमान में केन्द्रांश मद की राशि रु0 41,11,66,000/—(रुपये इक्तालीस करोड ग्यारह लाख छियासठ हजार) मात्र एवं राज्यांश मद से रु0 13,62,00,000/— (रुपये तेरह करोड बासठ लाख) मात्र सहित कुल राशि रु0 54,73,66,000/— (रुपये चौवन करोड तिहत्तर लाख छियासठ हजार) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०—.....5 1.....दिनांक—18/03/2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट उपबंध से प्राप्त राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित आवंटन प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा PM-ABHIM के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

3— राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग में वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से प्रथम Mother Sanction द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत है :-

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR					
Details of Fund received from Govt. of India (2024-25)					
Sl. No.	Letter No.	Date	Amount (Central Shares-60%)	Amount State Shares-40%)	Total
	PM-ABHIM अन्तर्गत Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) on SNA SPARSH Platform				
1	G.27018/41/2024-25/NHM-F/FTS-8319031	21 02 2025	48,00 00,000	32,00,00,000	80,00,00,000
	Total		48,00,00,000	32,00,00,000	80,00,00,000

4— केन्द्रांश मद की उपबंधित राशि की निकासी अधोलिखित विपत्र कोडों में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :-

- मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ- 110-अस्पताल तथा औषधालय- 0204-प्रधान मंत्री - आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) विपत्र कोड-20-4210021100204 पी0एफ0एम0एस0 कोड-3991, विषय शीर्ष-53 01 मुख्य निर्माण कार्य मद में उपबंधित राशि कुल रु0 59,78,11,000/—(रुपये उन्सठ करोड अठहत्तर लाख ग्यारह हजार) मात्र में से रु0 20,43,00,000/—(रुपये बीस करोड तैतालीस लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना- 0201-प्रधान मंत्री - आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन

✓

- (पीएम-एबीएचआईएम) विपत्र कोड-20-4210017890201 पी0एफ0एम0एस0 कोड-3991, विषय शीर्ष-53 01 मुख्य निर्माण कार्य मद में उपबधित राशि कुल रु० 11,02,07,000/- (रुपये ग्यारह करोड़ दो लाख सात हजार) मात्र में से रु० 11,00,00,000/- (रुपये ग्यारह करोड़) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (iii) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना- 0201-प्रधान मंत्री - आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) विपत्र कोड-20-4210017960201 पी0एफ0एम0एस0 कोड-3991, विषय शीर्ष-53 01 मुख्य निर्माण कार्य मद में उपबधित राशि कुल रु० 87,44,000/- (रुपये सत्तासी लाख चौवालीस हजार) मात्र में से रु० 87,44,000/- (रुपये सत्तासी लाख चौवालीस हजार) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (iv) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना- 0201-प्रधान मंत्री - आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) विपत्र कोड-20-4210027890201 पी0एफ0एम0एस0 कोड-3991, विषय शीर्ष-53 01 मुख्य निर्माण कार्य मद में उपबधित राशि कुल रु० 11,04,84,000/- (रुपये ग्यारह करोड़ चार लाख चौरासी हजार) मात्र में से रु० 7,91,00,000/- (रुपये सात करोड़ एकानवे लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (v) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ- 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना- 0201-प्रधान मंत्री - आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) विपत्र कोड-20-4210027960201 पी0एफ0एम0एस0 कोड-3991, विषय शीर्ष-53 01 मुख्य निर्माण कार्य मद में उपबधित राशि कुल रु० 90,22,000/- (रुपये नब्बे लाख बाईस हजार) मात्र में से रु० 90,22,000/- (रुपये नब्बे लाख बाईस हजार) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- 5- राज्यांश मद की उपबधित राशि की निकासी अधोलिखित विपत्र कोडों में उपबधित राशि से विकलनीय होगा :-
- (i) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय- 0304-प्रधान मंत्री - आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) विपत्र कोड-20-4210021100304 पी0एफ0एम0एस0 कोड-3991, विषय शीर्ष-53 01 मुख्य निर्माण कार्य मद में उपबधित राशि कुल रु० 15,00,00,000/- (रुपये पन्द्रह करोड़) मात्र में से रु० 13,62,00,000/- (रुपये तेरह करोड़ बासठ लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- 6- केन्द्रांश मद के ST घटक में समुचित राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण रु० 6,88,34,000/- (रुपये छः करोड़ अठासी लाख चौतीस हजार) मात्र एवं राज्यांश मद में समुचित राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण SC घटक में 12,60,66,667/- (रुपये बारह

520/7
78/03/2025

✓

करोड साठ लाख छियासठ हजार छः सौ सडसठ) मात्र तथा ST घटक में 5,77,33,333/- (रुपये पाँच करोड सतहत्तर लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र अर्थात् कुल रु0 25,26,34,000/- (रुपये पच्चीस करोड छब्बीस लाख चौतीस हजार) मात्र अगले वित्तीय वर्ष में आवंटित किया जा सकता है ।

7- इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित है। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को SNA SPARSH Model के अंतर्गत व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जायेगी।

8- इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र सं0-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि का व्यय करेंगे।

9- योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश में स्वीकृत राशि का व्यय “Just-In-Time” release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्रांक-879, दिनांक-24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक- 13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

10- ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि “Just-In-Time” पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है:-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम
PM-ABHIM अन्तर्गत Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) on SNA SPARSH	BR212-BR Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) (3991) (GOBHSPARSHPMABHIM)	01585501143	RBI

11- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार/ भारत सरकार को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

12- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-7/बजट-46-41/2024-25 के पृष्ठ-45/टि0 पर प्राप्त है।

✓

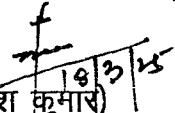
13- यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय परिपत्र स0-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक-09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

14- प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

15- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

16- वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शैलेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव ।
Mukund

ज्ञापांक-7/बजट-46-41/2024-25- 5-200 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक-18/03/24-25

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

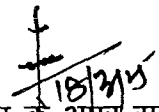
प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव एव मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम न०-331-सी., निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप निदेशक(ए०जे०एस०)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम न०-523-सी.विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव ।
Mukund